मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

…सीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

…स्व वाद संख्या :–261 / 2024

1. राजनसिह पुत्र संतसिह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र सिह पुत्र संतसिह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. कृष्णा पत्नी संतसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :– 20.08.2024

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीया की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीया कृष्णा के नाम की आराजी वाके चक नम्बर 4 के.एच.आर. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 150 / 67 में कुल 0.873 हैक्टेयर आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 4 के.एच.आर के खाता संख्या 150 / 67 मे से प्रतिवादीया कृष्णा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner